बिजली चोर उद्योगपति पर 1.32 करोड़ का जुर्माना, 2 साल की सश्रम कैद

नई दिल्लीः 26 अप्रैल, 2013। बिजली की स्पेशल कोर्ट ने उद्योगपति मनोज कुमार को बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए उस पर 1.32 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। साथ ही, उसे दो साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई है। अगर अभियुक्त जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे और छह महीने जेल में गुजारने होंगे।

मनोज कुमार को 103 किलोवॉट बिजली करी चोरी का दोषी पाया गया है। वह वेस्ट दिल्ली में चोरी की बिजली से अपना रबड़ व एनोडाइजिंग प्लांट चला रहा था। द्वारका स्थित स्पेशल कोर्ट ने मनोज कुमार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के तहत यह कठोर सजा सुनाई है। मनोज पर किए कए 1.32 करोड़ रूपये के जुर्माने में फाइन और सिविल लाइबिलिटी, दोनों शामिल हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार गुप्ता के मुताबिक– चोरी की बिजली का लोड 103 किलोवॉट से अधिक था और ऐसे में आरोपी को बिजली चोरी से जितना आर्थिक लाभ हो रहा था, उसके तीन गुणा से कम फाइन नहीं होना चाहिए...।

क्या था मामलाः

जून 2006 में बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने वेस्ट दिल्ली के कमरूद्दीन नगर में चल रही रबड़ व एनोडाइजिंग प्लांट पर छापा मारा था। वहां 103 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। वहां बिजली का एक मीटर तो लगा था, लेकिन फैक्टरी में उस मीटर से बिजली नहीं जा रही थी, बल्कि उपभोक्ता ने मीटर को बायपास कर दिया था। वह बीएसईएस की लाइन पर कटिया डालकर 103 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। तीन अवैध टेफलॉन तारों के सहारे वहां बिजली चोरी को अंजाम दिया जा रहा था।

बिजली कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, उस वक्त फैक्टरी मालिक पर 51 लाख का जुर्माना किया था। लेकिन तय समय के भीतर आरोपी ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, बीआरपीएल इस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई। फिर, कोर्ट ने आरोपियों राकेश कुमार और मनोज कुमार कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजा, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए।

बाद में उनमें से एक आरोपी मनोज कुमार कोर्ट में पेश हुआ, जिसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उसने खुद के बेगुनाह होने की बात कही, लेकिन बीआरपीएल द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अंततः मनोज कुमार को कड़ी सजा सुनाई। आरोपी ने दलील दी थी कि वह एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसका उस बिजली चोरी से कोई लेना–देना नहीं है।

साउथ दिल्ली में चार लोगों को दो साल की सश्रम कैद, 3.37 लाख जुर्माना

उधर, साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने साउथ दिल्ली के चार लोगों को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर कुल 3.37 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। यदि वे जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और दो महीने जेल में गुजारने होंगे। दोषियों के नाम हैं– सूरज भान, दीपक कुमार, राकेश और मुकेश कुमार। ये सभी जेएनयू के पास स्थित मुनीरका के रहने वाले हैं।

श्री राकेश कुमार तिवारी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा– मैं मानता हूं कि यह एक आर्थिक अपराध है, जिससे पूरा समाज पीड़ित है, और दोषियों की वजह से ऐसे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो ईमानदारी से भुगतान करते हैं।

दरअसल, 2008 में बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सूरज निवास, मुनीरका में छापा मारा था। यहां बिजली का मीटर बायपास मिला था और बीएसईएस की लाइनों पर कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी।